

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी के अन्तर्गत 16 श्रेणियों की सूचनाएं निम्नवत हैं:-

क्रमांक संख्या	सूचना की धारा 4(1)बी के अन्तर्गत 16 श्रेणियों की सूचना	संगठन स्तर से सम्बन्धित उत्तर
1	अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य;	इ0ओ0डब्ल्यू0 द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, निगमों, परिषदों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं में किये गये आर्थिक अपराधों तथा विभिन्न योजनाओं में आर्थिक अनियमितताओं एवं दुर्विधियोग से सम्बन्धित प्रकरणों, गैर वैकिंग वित्तीय कम्पनियों/प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे अपराधों, जिनमें राजस्व क्षति निहित हो तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार से सम्बन्धित मामलों में की गई धोखाधड़ी की जाँच/विवेचना की जाती है। इसके अतिरिक्त इस संगठन द्वारा आर्थिक अपराध से सम्बन्धित अभिसूचना संकलन का कार्य भी शासनादेश दिनांक: 18.09.1972 में दी गयी व्यवस्थानुसार की जाती है।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य;	शासनादेश सं0:482 / 25-8-2015-39(11) / 70, दिनांक: 23.06.2015 एवं उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार प्रदत्त कर्तव्य/शक्तियों।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है;	इस संगठन द्वारा शासन के गृह विभाग द्वारा संदर्भित जाँच/विवेचना का कार्य किया जाता है। संगठन द्वारा कोई जाँच/विवेचना ख्वतः करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। शासन से प्राप्त प्रकरणों की जाँच/विवेचना इस संगठन के अन्तर्गत कार्यरत 06 सेक्टरों द्वारा की जाती है। निरीक्षक/विवेचक का पर्यवेक्षण सेक्टर रूपर पर नियुक्त सेक्टर प्रभारी पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक द्वारा किया जाता है। जाँच विवेचना पूर्ण होने पर आख्या संगठन के मुख्यालय पर प्रेषित की जाती है, इन आख्याओं का मूल्यांकन मुख्यालय में नियुक्त जे0डी0/एस0पी0ओ0 द्वारा किया जाता है तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक, इ0ओ0डब्ल्यू0 द्वारा के उपरान्त आख्या शासन के गृह विभाग को स्वीकृत हेतु प्रेषित की जाती है। शासन से आख्या स्वीकृत होने के उपरान्त तदनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;	इस संगठन द्वारा जॉच/विवेचना पूर्ण पारदर्शितः बरतते हुए की जाती है, प्रत्येक स्तर पे संगठन में नियुक्त विधिक अभियोजन अधिकारियों द्वारा विवेचक के उपलब्ध करायें गये साक्षों की समीक्षा की जाती है। स्पष्ट एवं प्रर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर ही आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;	शासनादेश सं0:482/25-8-2015-39(11)/70, दिनांक:23.06.2015 एवं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन व पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार प्रदत्त कर्तव्य/शक्तियाँ।
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;	इस संगठन द्वारा मुख्य रूप से जॉच/विवेचना के मध्य संकलित किये गये अभिलेखयीय साक्ष्य आरोपियों एवं सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जाता है। इन अभिलेखों में जॉच किये जा रहे विभागों के अन्तरिक किया—कलापों का विवरण रहता है, जिसका सीधा सम्बन्ध विवेचना से होता है तथा एकत्र किये गये अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में मात्र न्यायालय में प्रस्तुत करना होता अतः उनका सार्वजनिक किया जाना समीचीन नहीं है।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियों, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;	इस संगठन स्तर पर नीति की संरचना या कार्यान्वयन हेतु जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए अथवा अभ्यावेदन के लिए कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है। शासन के गृह विभाग द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही इस संगठन द्वारा की जाती है।
8	ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;	उपरोक्त प्रकरण में बिन्दु संख्या 07 में स्पष्ट किया गया है।

9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;	<p>आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन में नियुक्त अधिकारी गण के पदनाम व मोबाइल नम्बर</p> <table border="1" data-bbox="690 774 1436 1078"> <tbody> <tr><td>पुलिस महानिर्देशक,</td><td>9454400107</td></tr> <tr><td>अपर पुलिस महानिर्देशक</td><td>9454400128</td></tr> <tr><td>पुलिस महानीक्षक</td><td>9454400323</td></tr> <tr><td>पुलिस अधीक्षक (अधिष्ठान/लखनऊ सेक्टर)</td><td>9454401151</td></tr> <tr><td>पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय सेक्टर)</td><td>9454401150</td></tr> <tr><td>अपर पुलिस अधीक्षक (कोप/जनसूचना अधिकारी)</td><td>9454402518</td></tr> <tr><td>पुलिस अधीक्षक (कानपुर सेक्टर)</td><td>9454402515</td></tr> <tr><td>पुलिस अधीक्षक (वाराणसी सेक्टर)</td><td>9454405228</td></tr> <tr><td>अपर पुलिस अधीक्षक (मेरठ सेक्टर)</td><td>9454401677</td></tr> </tbody> </table>	पुलिस महानिर्देशक,	9454400107	अपर पुलिस महानिर्देशक	9454400128	पुलिस महानीक्षक	9454400323	पुलिस अधीक्षक (अधिष्ठान/लखनऊ सेक्टर)	9454401151	पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय सेक्टर)	9454401150	अपर पुलिस अधीक्षक (कोप/जनसूचना अधिकारी)	9454402518	पुलिस अधीक्षक (कानपुर सेक्टर)	9454402515	पुलिस अधीक्षक (वाराणसी सेक्टर)	9454405228	अपर पुलिस अधीक्षक (मेरठ सेक्टर)	9454401677
पुलिस महानिर्देशक,	9454400107																			
अपर पुलिस महानिर्देशक	9454400128																			
पुलिस महानीक्षक	9454400323																			
पुलिस अधीक्षक (अधिष्ठान/लखनऊ सेक्टर)	9454401151																			
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय सेक्टर)	9454401150																			
अपर पुलिस अधीक्षक (कोप/जनसूचना अधिकारी)	9454402518																			
पुलिस अधीक्षक (कानपुर सेक्टर)	9454402515																			
पुलिस अधीक्षक (वाराणसी सेक्टर)	9454405228																			
अपर पुलिस अधीक्षक (मेरठ सेक्टर)	9454401677																			
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो इसके विनियमों में यथा उपलब्धित हो;	आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ०प्र० लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक शासन द्वारा निर्धारित नियमों के आलोक में पद/सेवा के अनुसार प्रदान किया जाता है।																		
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टिया, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित वजाट;	इस संगठन को वजट पुलिस मुख्यालय के माध्यम से निम्नलिखित शिर्षक के अन्तर्गत प्राप्त होता है, उनके उपभोग एवं व्यय की समीक्षा पुलिस मुख्यालय और महालेखाकार कार्यालय की टीम द्वारा की जाती है। “2055—पुलिस आयोजनेत्तर-101 अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता 04 अनुसंधान अनुभाग-0402 अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान”																		
12	सहायिकी कार्यकर्ताओं के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकर्ताओं के फायदाग्राहियों के ब्यारे सम्मिलित है;	शून्य																		

13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारी के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ;	शून्य				
14	किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसका उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो;	शून्य				
15	सूचना अभिप्राप्त करने के नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टिया, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है ;	शून्य				
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	<p>पुलिस अधीक्षक / अपीलीय अधिकारी (जनसूचना), आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, तृतीय टावर, चतुर्थ तल, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">मुख्यालय लखनऊ श्री हबीबुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक(कोष) / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, तृतीय टावर, चतुर्थ तल, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002।</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; vertical-align: top;">सेक्टर वाराणसी श्री डी0प्रदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, 107 सिद्धपुरि बाग, जिला-वाराणसी 221010।</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">सेक्टर कानपुर श्री बाबू राम, पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, यातायात पुलिस लाइन कैम्पस, थाना-रेल बाजार, जिला-कानपुर नगर।</td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;">सेक्टर मेरठ श्री राम सुरेश यादव, अपर पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, 44वीं वाहिनी पीएसी परिसर, हापुड रोड, जिला-मेरठ।</td> </tr> </table>	मुख्यालय लखनऊ श्री हबीबुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक(कोष) / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, तृतीय टावर, चतुर्थ तल, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002।	सेक्टर वाराणसी श्री डी0प्रदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, 107 सिद्धपुरि बाग, जिला-वाराणसी 221010।	सेक्टर कानपुर श्री बाबू राम, पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, यातायात पुलिस लाइन कैम्पस, थाना-रेल बाजार, जिला-कानपुर नगर।	सेक्टर मेरठ श्री राम सुरेश यादव, अपर पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, 44वीं वाहिनी पीएसी परिसर, हापुड रोड, जिला-मेरठ।
मुख्यालय लखनऊ श्री हबीबुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक(कोष) / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, तृतीय टावर, चतुर्थ तल, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002।	सेक्टर वाराणसी श्री डी0प्रदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, 107 सिद्धपुरि बाग, जिला-वाराणसी 221010।					
सेक्टर कानपुर श्री बाबू राम, पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, यातायात पुलिस लाइन कैम्पस, थाना-रेल बाजार, जिला-कानपुर नगर।	सेक्टर मेरठ श्री राम सुरेश यादव, अपर पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0, 44वीं वाहिनी पीएसी परिसर, हापुड रोड, जिला-मेरठ।					